ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-8* November-2021
Anthology : The Research

मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना प्रभाव आंकलन
Aahaar Anudan Scheme in Madhya Pradesh Impact Assessment

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11//2021

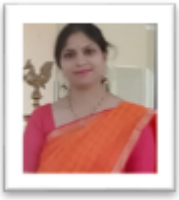

बीना श्रीवास्तव
सलाहकार,
सोशल सेक्टर डेवलपमेंट,
अटल बिहारी वाजपेयी,
सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

योजना की जानकारी का मुख्य माध्यम ग्राम पंचायत स्तर है,जिससे यह कहा जा सकता है,कि योजना का प्रसार-प्रचार शासन एवं मैदानी स्तर के अमले द्वारा निरंतर किया जा रहा है । योजना की राशि मिलने के उपरांत दैनिक लिए जाने वाले भोजन में भी परिवर्तन हुआ है । अध्ययन में योजना की राशि समय पर लाभार्थियों को नहीं मिल रही है ,जिससे योजना के सफल क्रियान्वयन में समस्याएं आ रही है, जिसके कारण पोषणयुक्त आहार लेने में भी महिलायें कई प्रकार की चुनोतियों का सामना कर रही है । मुख्य रूप से बजट वितरण प्रणाली पर शासन स्तर से विचार कर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ।

The main medium of information about the scheme is the gram panchayat level, from which it can be said that the dissemination of the scheme is being done continuously by the government and field level staff. After getting the amount of the scheme, the food taken daily has also changed. In the study, the amount of the scheme is not getting to the beneficiaries on time, due to which there are problems in the successful implementation of the scheme, due to which women are facing many challenges in taking nutritious food. Mainly the budget distribution system needs to be amended after considering it from the government level.

मुख्य शब्द: भारिया, सहरिया,बैगा, पातालकोट, प्राधिकरण, अभिकरण।
Keywords:Bharia, Sahariya, Baiga, Patalkot, Authority, Agency.

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश देश का ह्दय स्थल कहलाने वाला प्रदेश है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 726.27 लाख है,जिसमें से 153.16 लाख जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है । जो, कि कुल जनसंख्या का 21.10 प्रतिशत है।इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या मध्यप्रदेश में 5.50 लाख है । इस प्रकार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है । मध्यप्रदेश में कुल 43 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। मुख्यतः तीन जनजातियों की पहचान (पीवीटीजी) विशेष पिछड़ी जनजातिय समूहों-भारिया, सहरिया एवं बैगा जनजातियों के रूप में की गई है। आदिम जाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनजातियों एवं विशेष पिछड़ी जातियों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित हैं,उन्ही में से एक योजना "विशेष पिछड़ी जनजातियों" की महिलाओं के लिए कुपोषण से मुक्ति" हेतु वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई हैं। जिसे "आहार अनुदान योजना" का नाम दिया गया है।विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र अंतर्गत 15 जिलों को योजना में शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर 3 प्राधिकरण गठित है। सहरिया विकास,बैगा विकास तथा भारिया विकास ।वही जिला स्तर पर 15 जिलों में 11 अभिकरण भी गठित है। योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रू. की राशि हस्तांतरित की जाती है। जिससे वे अपने बच्चों को पूर्ण पोषणयुक्त आहार खिला सके और अपने बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचा सके, ताकि देश ओर प्रदेश के सशक्त नागरिक बन सके और जीवन की मुख्यधारा से जुड़ सके।

योजना के निरंतर संचालन हेतु ग्लोबल बजट व्यवस्था से प्रतिमाह पात्र लाभार्थी महिलाओं को राशि वितरित की जा रही हैं। विगत दो वर्षो में वर्ष 2018-19 में 2,42,752 पीवीटीजी लाभार्थी महिलाओं को राशि रूपये 17469.378 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (माह दिसंबर तक) में 2,24,058 पीवीटीजी लाभार्थी महिलाओं को राशि रूपये 14945.56 लाख राशि वितरित की गई। (स्त्रोत-जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट तथा विभाग से प्राप्त आंकडे)

भारिया जनजाति

भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मण्डला और सरगुजा जिले हैं। इस अपेक्षाकृत बड़े भाग में फैली जनजाति का एक छोटा सा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा हैं। पातालकोट स्थल को देखकर ही

समझा जा सकता है कि यह वह स्थान है जहां समय रूका हुआ सा प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के निवासी शेष दुनिया से अलग-थलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यताएं हैं, संस्कृति और अर्थ-व्यवस्था है । पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला।

फोटो - फिल्ड सर्वे टीम के सोजन्य से
स्त्रोत -https://www.mpinfo.org/MP/janindex

सहरिया जनजाति

यह जनजाति मुख्यतः ग्वालियर और चंबल अंचल में निवास करती है।सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में पायी जाती है।
स्त्रोत -*https://www.tribal.mp.gov.in/CMS-*

बैगा जनजाति

बैगा आदिवासी मध्यप्रदेश के मुख्यत: तीन जिलों-मंडला, शहडोल एवं बालाघाट में पाए जाते हैं । इस दृष्टि से बैगा मध्यप्रदेश के मूल आदिवासी भी कहे जा सकते हैं । बैगा शब्द अनेकार्थी है । बैगा जाति विशेष का सूचक होने के साथ ही अधिकांश मध्यप्रदेश में "गुनिया" और "ओझा" का भी पर्याय है ।

फोटो - फिल्ड सर्वे टीम के सोजन्य से
स्त्रोत -https://www.mpinfo.org/MP/janindex

राष्ट्रीय

प्रदेश के परिदृष्य में कुपोषण एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे समक्ष है इससे मुक्ति पाने के लिए सरकार अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रही है । इस कमी को दूर करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा "आहार अनुदान योजना" को संचालित किया जाना एक सराहनीय कदम है।योजना वर्ष 2017-18 दिसंबर से प्रांरभ हुई है। वर्तमान में योजना को लगभग तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं ।आवश्यकता इस बात की है,कि शासन की मंशानुरूप योजना किस हद तक सफल हुई हैं? इसी तारतम्य में "आहार अनुदान योजना" का प्रभाव आंकलन किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सुझावों के साथ यह लेख प्रस्तुत किया गया है ।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य

1. लाभार्थी महिलाओं में योजना के प्रति जागरूकता को जानना।
2. लाभार्थी महिलाओं के परिवार ओर बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की स्तिथि का पता लगाना ।
3. परिवार में रोज लिए जाने वाले भोजन में पोष्टीकता एवं पोषण आहार लेने में आने वाली समस्याओं को जानना ।
4. योजना के सफल क्रियान्वयन में विभाग को आने वाली कठिनाइयों को जानना ।

कार्यविधि

अध्यनित जिले	अध्यनित विकासखण्ड (प्रत्येक जिले से 2)	ग्रामों की संख्या / लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थी परिवारों की कुल संख्या
ग्वालियर	ग्वालियर, घाटीगावं	20*5=100	100
उमरिया	उमरिया,करकेली	20*5=100	100
छिंदवाड़ा	तामियां (पातालकोट)	20*5=100	100
श्योपुर	श्योपुर, कराहल	20*5=100	100
डिन्डौरी	डिन्डौरी, समनापुर	20*5=100	100
05	**10**	**100**	**500**

जिलों का चयन उद्देश्यपूर्ण सेम्पलिंग विधी से किया गया।तीनों जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक जिला-ग्वालियर, उमरिया एवं छिंदवाड़ा को अध्ययन हेतु चयन किया गया है । इसके अतिरिक्त दो वह जिले भी अध्ययन में शामिल किए गए जहां पर योजना के लाभार्थियो की संख्या अधिक हैं-श्योपुर एवं डिन्डौरी। इस प्रकार कुल 5 जिलों से 500 लाभार्थियों से संगठित प्रश्नावलियों के माध्यम से समक्ष में चर्चा की गई ।

अध्ययन के मुख्य परिणाम

वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत "आहार अनुदान योजना" हेतु चयनित 15 जिलों को योजना का बजट ग्लोबल मद में प्राप्त हो रहा है, जिससे जो जिला अपने स्तर पर बजट स्वीकृती की प्रक्रिया जल्दी कर लेता है,उस जिले में वितरण समय पर हो रहा है। इसके विपरीत जिन जिलों में वितरण की प्रक्रिया विलम्ब से हो रही है वहां लाभार्थीयों को योजना की राशि समय (प्रतिमाह) पर प्राप्त नही हो रही है। प्राप्त परिणामों से यह स्थिति परिलक्षित होती है, कि योजना के उद्देश्य प्राप्ति में बजट प्रक्रिया बाधक सिद्ध हो रही है। इस हेतु शासन स्तर पर योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ग्लोबल बजट की प्रणाली पर पुनः विचार करना चाहिए।

शैक्षणिक स्थिति

अध्ययन में प्राप्त आंकडें यह दर्शाते हैं, कि अधिकांश 75 प्रतिशत महिला लाभार्थी अशिक्षित है, जिससे योजना का लाभ लेने एवं सफल क्रियान्वयन में बाधा आती है।

आय का मुख्य साधन

अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है, कि पति और पत्नी की आय का मुख्य स्त्रोत मजदूरी हैं ।

परिवार की सदस्य संख्या

अध्ययन में यह पाया गया कि 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों की संख्या 32 प्रतिशत, तथा 5 से 6 सदस्यों वाले परिवार 45 प्रतिशत है ।

योजना के बारे में जानकारी

77 प्रतिशत लाभार्थियों को योजना की जानकारी का मुख्य माध्यम ग्राम पंचायत है । साथ ही योजना का लाभ लेने वाली मात्र 5 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं को ही जानकारी है, कि यह राशि कुपोषण से मुक्ति एवं परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही प्रदान की जा रही है ।

कुपोषण की समझ

68 प्रतिशत को कुपोषण को पहचानने की जानकारी नही हैं ।अधिकांश लाभार्थी महिलाओं में कुपोषण के सभी लक्षणों की जानकारी का अभाव पाया गया है।

लाभार्थी महिलाओं के खाते की स्थिति

योजना में 51 प्रतिशतलाभार्थीयों ने बताया कि उन्हें हर माह आसानी से योजना की राशि नही मिलती है, जिन महिलाओं के खाते में योजना की राशि 1000 रू. समय पर नही जमा होती है, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है । जैसे- बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं,राशि प्राप्त होने में 3-8 माह का समय लग जाता है,समय पर राशि नहीं मिलने से राशन नही खरीद पाते, जिससे कभी-कभी कर्ज भी लेना पड़ता है।

मुख्य अनुशंसाए

बजट वितरण प्रक्रिया में सुधार - जिलेवार लक्षित महिला मुखिया की संख्या के आधार पर तिमाही या वार्षिक बजट जिलों को आंवटित किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक जिले में समय सीमा (प्रतिमाह) अपने क्षेत्र की लाभार्थी महिलाओं को योजना की राशि वितरित की जा सके। जिससे योजना का उद्देश्य पूर्ण होने में शासन को शत प्रतिशत सफलता प्राप्त हो सके।

शिक्षा का स्तर

योजना के सफल क्रियान्वयन व पोषण की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता हैं। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकता है,क्योंकि यदि परिवार की महिला मुखिया एवं उसका परिवार शिक्षित होगा तो निश्चित ही उसका व उसके परिवार का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा । लाभार्थी महिला और उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के सरकार द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है, जिससे इन परिवारों की आर्थिक,सामाजिक व स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव आयेगा।

जागरूकता

योजना का व्यापक रूप से प्रचार- प्रसार किया जाएं तो योजना के उद्देश्य पर शासन को पूर्ण रूप से सफलता मिल सकेगी। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष अभियान चलाएं जाने की आवश्यकता है । जैसे नुक्कड़ नाटक,दिवार लेखन आदि । साथ ही योजना के सफल संचालन के लिए सभी विभागों के साथ अभिसरण(Convergence)किया जा सकता है,जिससे सभी पात्र महिला मुखिया को योजना का लाभ मिल सके।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं विभिन्न विभागों से समन्वय

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण विभाग द्वारा कराने की आवश्यकता है,क्योंकि लाभार्थी महिलाओं के परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वर्तमान में महिला लाभार्थीयों को यह राशि प्रतिमाह प्राप्त नही हो रही है। जिसे प्रतिमाह विभाग द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता हैं। इसके लिए राज्य स्तर से विकासखण्ड तक तथा विकासखण्ड स्तर से पंचायत स्तर तक योजना को सफल बनाने के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का एक पूल बना कर करना चाहिऐ। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु (महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास) विभागों का समन्वय होना आवश्यक है । इनके मैदानी स्तर के अमले द्वारा समय-समय पर योजना की जानकारी देकर कुपोषण की स्थिति में सुधार लाया जा सकता हैं।

प्रतिमाह राशि का बैंक खाते में आना

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों से बैंक अधिकारियों के लिए निर्देश जारी हो जाए, कि इस योजना की राशि हर माह लाभार्थीयों के खाते में पंहुचाई जाएं,जिससे महिला लाभार्थियों को बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े और उस राशि का उपयोग पोषण से मुक्ति हेतु आवश्यक पोषण आहार लेने में उपयोग कर सके ।

माँ एवं बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी

योजना के सफल क्रियान्वयन व उद्देश्य की प्राप्ति हेतु माँ और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी रखने की आवश्यकता है । सुनिश्चित किया जाएं कि बैंकों में नियमित अनुदान राशि पहुंचे । साथ ही नियमित रूप से उनका वजन व हिमोंग्लोबिन परीक्षण किया जाएं और समय-समय पर आवश्यक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएं। नियमित लिए जा रहे आहार में आयरन युक्त पोषक तत्वों को शामिल कराया जाएं । तथा दैनिक लिए जाने वाले भोजन में आवश्यक पोषण तत्वों की मात्रा ओर खाद्य सामग्री का चार्ट भी बनाकर दिया जाना चाहिए । इस हेतु व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएं। इसके लिए मैदानी अमले को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान में "आहार अनुदान योजना" का बजट ग्लोबल मद में प्राप्त हो रहा है,जिसके कारण महिला लाभार्थियों तक योजना की राशि सही समय पर नहीं पहुँच रही है ,जिससे पोष्टीक आहार लेने में समस्याओं का सामना भी करना पढ़ रहा है,ओर योजना का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है । महिलाओं में कुपोषण की समझ का अभाव भी पाया गया है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *https://www.tribal.mp.gov.in/CMS-प्रस्तावना ,परिचय प्रथम पैरा*
2. *प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2017-18-प्रस्तावना ,पृ .सं ,7*
3. *https://www.census2011.co.in/states.php-प्रस्तावना*
4. *https://www.mpinfo.org/MP/janindex-भारिया जनजाति प्रथम पैरा*
5. *https://www.mpinfo.org/MP/janindex-बैगा जनजाति ,प्रथम पैरा*
6. *https://www.tribal.mp.gov.in/CMS-सहरिया जनजाति ,पृ .सं*
7. (स्त्रोत-जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट तथा विभाग से प्राप्त आंकडे)[1]